E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2023; 5(3): 06-09
Received: 08-12-2022
Accepted: 12-01-2023

Dr. Meenu Nain
Associate Professor of History
Govt. P.G. College for Women,
Rohtak, Haryana, India

Corresponding Author:
Dr. Meenu Nain
Associate Professor of History
Govt. P.G. College for Women,
Rohtak, Haryana, India

सल्तनतकालीन न्याय व्यवस्था

Dr. Meenu Nain

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2023.v5.i3a.940

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा सल्तनत काल की न्याय व्यवस्था को समझने की कोशिश की गई है। इसमें मुस्लिम शासकों द्वारा न्यायिक प्रशासन के लिए जो ढाँचा तैयार किया गया था उसका वर्णन किया गया है। इस्लामिक कानूनों के स्त्रोतों को जानने की कोशिश की जाएगी, जिससे उनकी प्रकृति को समझा जा सके। उस समय कितने प्रकार के कानून अस्तित्व में थे, यह जानने की कोशिश की जाएगी। न्याय व्यवस्था को जानने के लिए न्यायालयों की व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। न्यायालयों की कार्यविधि, न्यायधीशों की नियुक्ति उनके क्षेत्राधिकार उनकी कार्यप्रणाली, न्यायधीशों के अतिरिक्त अधिकारी आदि का वर्णन किया गया है। न्यायिक सुधारों का काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू हुआ जिसे आगे आने वाले सुल्तानों ने जारी रखा। सुल्तान न्यायिक व्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप नहीं करते थे। अध्ययन से पता चलता है कि सुल्तान, न्याय का शासन स्थापित करने में विश्वास रखते थे। सभी न्यायिक अधिकारियों के कार्य, उनके अधिकार और शक्तियाँ हर स्तर पर एक जैसी थी जिनको देखकर लगता है कि सुल्तान निरकुश होने के बावजूद भी न्यायिक मामलों में सभी निर्णय स्वयं न करके मुफ्ती तथा काजियों की मदद लेते थे।

कुटशब्दः शरियत, न्यायिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत, काज़ी, मुफ्ती, न्यायाधीश

प्रस्तावना
प्राचीन भारत में कानून तथा न्याय का आधार धर्म, समझौता, प्रथा तथा राज्यादेश थे। समय परिवर्तन होने के साथ–साथ धर्म अपनी पूर्णता तथा पवित्रता के लिए महत्व खोने लगा तथा न्याय के सहायक स्त्रोतों की आवश्यकता अधिक होने लगी। इन्हीं सहायक स्त्रोतों में राज्यादेश को अधिक महत्वता प्राप्त होने लगी। राजा का प्रधान कर्त्तव्य धर्म की रक्षा करना था तथा धर्मरक्षक के रूप में उसे धर्मावतार भी कहा जाता था। हिन्दुओं का मानना था कि उनके धार्मिक कानून ऋषियों द्वारा दिए गए है जैसे कोई भी भगवान जब इंसान बनकर (मानव रूप लेकर) दुनिया में आता है तब बेशक वह कानून नहीं बनाते लेकिन वह किसी बुराई को दूर करने के लिए जो आचरण करते है, नियम बनाते है वहीं धार्मिक कानून बन जाते है। इन कानूनों को बदला नहीं जा सकता था।
प्राचीन काल में न्याय का मुख्य साधन राजा स्वयं था। अर्थशास्त्र के दस ग्रामों के लिए तीन न्यायाधीशों की मंडली के एक न्यायालय के प्रावधान होने के बारे में परामर्श दिया है, इनके उच्चतर न्यायालय जिले तथा प्रान्तों में होने की बात भी अर्थशास्त्र में कहीं गई है।
दो तरह के मामले होते थे, दीवानी तथा फौजदारी। राज्य न्यायालयों के साथ पंचायते भी थी जो झगड़ों का निर्णय दे सकती थी।

दिल्ली सल्तनत की स्थापना
मुस्लिम 712 ई. में मुहम्मद बिन कासिम की विजय के साथ भारत में आए। परन्तु इस विजय के बाद वह भारत में स्थायी रूप से नहीं रहे। अपना स्थायी राज्य स्थापित करने में उन्हें काफी समय लगा। मुहम्मद गौरी ने 1192 ई. में तराईन के दूसरे युद्ध में पृथ्वी राज चौहान को पराजित कर यहाँ शासन की शुरूआत की। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दास था, को विजित क्षेत्रों का गर्वनर बनाया। 1206 ई. में मुहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ने 1206 ई. में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके साथ ही भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया। बहुत सी नई इस्लामिक सस्थाएँ स्थापित की गई। मुस्लिम शासन स्थापित होने से प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन आया। इन सभी का प्रभाव यहाँ की परम्परागत न्यायव्यवस्था पर भी पड़ना स्वाभाविक था।

मुस्लिम कानूनों के स्त्रोत
मुस्लिम कानून के चार स्त्रोत है – कुरान, हदीस, इज्मा तथा क़यास।

कुरानः मुस्लिम विधि का प्रमुख स्त्रोत कुरान है। इसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगबंर को दिया गया दैवीय संदेश निहित है। कुरान केक्ल विधि ग्रन्थ ही नहीं वरन् इसमें मजहब (धर्म) नीतिशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की बाते भी सम्मिलित हैं।

हदीसः इसमें पैगम्बर द्वारा अपनाए गए आचरण तथा परम्परागत परम्पराओं का वर्णन मिलता है। प्रमाणिकता की दृष्टि से हदीस कुरान के बाद मुस्लिम विधि का मुख्य स्त्रोत है। इन परम्पराओं का संकलन पैगम्बर साहब की मृत्यु के बाद किया गया। ये परम्पराएँ राज्य के द्वारा संकलित नहीं की गई थी बल्कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा संकलित की गई है। विभिन्न प्रशासकीय समस्याओं का समाधान कुरान से लेने का प्रयास किया जाता था परन्तु जब कुरान में उसका समाधान न मिले तो हदीस का सहारा लिया जाता था।

इज़्माः मुस्लिम विधि का तीसरा स्त्रोत है – इज़्मा। अगर किसी कानूनी विषय पर कुरान या हदीस में जवाब नहीं मिलता है तो उस कानून की इस्लामी व्याख्या करने का अधिकार उन विधिवेत्ताओं को सौंप दिया जाता था जिन्हें मुजतहिद या विधिशास्त्री कहा जाता था। विधिशास्त्री उस कानूनी प्रश्न पर परस्पर विचार करते तथा एकमत होकर निर्णय करते थे। उस निर्णय को ही इज़्मा कहा जाता था। इन मुजतहिदों द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा के रूप में माना जाता था।

कयासः कयास शब्द का अर्थ है तर्क के आधार पर विश्लेषण करना। यह उन मुस्लिम कानूनों की तार्किक व्याख्या करता था जो विषय कुरान, हदीस या इज़्मा में नहीं आते थे। यह तरीका बहुत पहले से प्रचलित था। अबू हनीफा ने कयास को मुस्लिम विधि के स्त्रोत के रूप में मुख्य स्थान दिया है। कयास किसी भी परिस्थिति में मूल पाठ को बदल नहीं सकता था। यह समय के परिवर्तन के साथ विधि में परिवर्तन करने के साधन उपलब्ध कराता था।

सल्तनतकालीन कानून

सल्तनत काल में मुख्य चार तरह के कानून थे।

1. **सामान्य कानूनः** सामान्य कानून केवल मुस्लमानों के लिए होते थे। परन्तु कुछ कानून जो व्यापार, किसी वस्तु को खरीदना या बेचने तथा सौदा करने से सम्बन्धित थे वह मुसलमानों तथा गैर–मुसलमानों दोनों पर समान रूप से लागू होते थे।
2. **देश का कानूनः** मुस्लिम शासकों के अधीन देश में उस देश से प्रचलित स्थानीय कानून होते थे जो वहाँ पर रहने वाले लोगों पर लागू होते थे।
3. **फौजदारी कानूनः** यह कानून मुसलमानों तथा गैर–मुसलमानों दोनों पर लागू होने थे।
4. **गैर मुसलमानों के कानूनः** मुस्लिम शासक हिन्दू या गैर–मुसलमानों के सामाजिक तथा धार्मिक मामलों में नाममात्र का हस्तक्षेप करते थे। उनके मामलों का निर्णय उनकी पंचायतों द्वारा या विद्वान पंड़ितों तथा ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रशासन की निम्नतम इकाई गाँव तथा अन्य प्राचीन हिन्दू–संस्थाओं को इस्लामिक शासकों ने पूर्ववत् बने रहने दिया। वह हिन्दुओं के सामाजिक मामलों का निपटारा करने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त नहीं करते थे।

सल्तनत काल में न्याय–व्यवस्था

मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन शासक बना तथा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत में कुल पाँच राजवंशों ने राज किया। दास राजवंश (1206–1290), खिल्जी राजवंश (1290–1320), तुगलक वंश (1320–1414), सैय्यद वंश (1414–1454), लोधी वंश (1451–1526)। लोधी वंश के अन्तिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर के बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित करने में इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने राजधानी तथा प्रमुख नगरों में काजी तथा अमीरे–ए–दाद नियुक्त किए। इनके ऊपर प्रधान (काज़ी–उल–कुज़ात) काज़ी नियुक्त किया जो निम्न अदालतों की अपील सुनता था। सबसे ऊपर सुल्तान होता था जो न्याय का स्त्रोत माना जाता था तथा अन्तिम फैसला भी सुल्तान का ही होता था। इब्नबतूता के अनुसार, सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियाँ लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उनकी फरियाद सुनकर राजा न्याय की व्यवस्था कराता था। गाँव की पंचायते हिन्दु मामलों का निपटारा करती थी परन्तु अगर मामला हिन्दू तथा मुसलमान के बीच होता था तो इसका निपटारा काज़ी द्वारा किया जाता था।

बलवन कुरान के नियमों को शासन तथा न्याय का आधार मानता था। उसका मानना था कि न्याय का पालन करके ही वह अपने धर्म की रक्षा तथा राजकीय कर्त्तव्यों की पालना कर सकता है। अलाउद्दीन खिल्जी न्याय के लिए खुले दरबार लगाता था। सुल्तान के नीचे सद्र–ए–जहाँ, काज़ी–उल–कुज़ात होता था। उनके अधीन नायब, काज़ी, अदल आदि अधिकारी होते थे जो कानून की व्यवस्था करते थे। प्रान्तों में भी न्याय की समान्तर व्यवस्था कर रखी था।

केन्द्रीय न्याय व्यवस्था या सुल्तान के अधीन न्याय प्रबंध

केन्द्र में न्यायालय

1. **सुल्तान का न्यायालयः** यह सबसे उच्च होता था। सुल्तान इसका मुखिया होता था। यह न्यायालय हर प्रकार के मामले सुनता था। कोई भी व्यक्ति सीधे या किसी निम्न अदालत के निर्णय के विरूद्ध सुल्तान की अदालत में पेश हो सकता था।
2. **काज़ी–उल–कुज़ातः** यह सुल्तान के अधीन मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। इसके अधिकार भी सुल्तान के समान ही होते है। इसकी अदालत को मुख्य न्यायाधीश की अदालत भी कहा जाता था।
3. **दीवान–ए–मुज़ालिमः** यह फौजदारी मामलों का निपटारा करने की सर्वोच्च अदालत होती थी। सद्रे जहाँ इसका मुख्य अधिकारी होता था।
4. **दीवान – ए– रसालतः** यह दीवानी मामलों की सर्वोच्च अदालत थी। इसका मुख्य अधिकारी भी सर्दे जहाँ होता था।
5. **सद्र–ए–जहाँः** यह धर्म से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिए बनाई गई अदालत थी।
6. **दीवान–ए–रिसायतः** यह न्यायालय मुहम्मद तुगलग ने बनाई थी।

केन्द्रीय न्यायालयों के मुख्य अधिकारी

1 सुल्तानः सुल्तान न्याय का मुख्य स्त्रोत था। उसका निर्णय अन्तिम होता था। उसके पास न्याय के विस्तृत अधिकार थे। अगर कोई व्यक्ति नीचे की न्याय प्रक्रिया से सन्तुष्ट नहीं होता था तो वह सुल्तान के पास अपील कर सकता था। सुल्तान अपने विवेक तथा शरियत से निर्णय करता था। अगर उसे किसी विषय पर संशय होता था तो वह मुफ्ती की मदद ले सकता था, जिसे शरियत का ज्ञाता माना जाता था। परन्तु सुल्तान उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं था। सुल्तान– दीवान–ए–मुजालिस तथा दीवान–ए–रसालत अदालतों में बैठता था परन्तु बहुत ही कम बार वह स्वयं निर्णय देता था।

2 सद्र–ए–जहाँः इसे सद्र–ए–कुल भी कहा जाता था। यह न्याय का मुख्य अधिकारी होता था। इस पद की शुरूआत सुल्तान नसिरूद्दीन ने 1248 ई. में की थी। यह धार्मिक अदालतों का भी मुखिया था। इसके मुख्य कार्य थे, निम्न अदालतों के काज़ियों की नियुक्ति करना, न्याय प्रबन्ध करना, निम्न अधिकारियों को दिशा निर्देश भेजने। यह हर प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अपीलीय मामलों की सुनवाई करते थे तथा धार्मिक मामलों का निरीक्षण भी करते थे।

3 काज़ी–उल–कुज़ातः इसे न्याय का मुखिया कहा जाता था। काज़ी–उल–कुज़ात की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी और सुल्तान के पास ही उसे पदच्युत करने का अधिकार था। नए नियम तथा कानून बनाने में काज़ी–उल–कुज़ात की अहम भूमिका होती थी। न्यायिक विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति सद्र–ए–जहाँ द्वारा इसी की सलाह के बाद की जाती थी। इसकी मदद के लिए कुछ अन्य अधिकारी भी थे जिनमें, मुफ्ती, मोहतासिब, पंडित तथा दादबक शामिल थे।

अन्य अधिकारी

मुफ्तीः यह एक प्रकार का वकील होता था जिसकी नियुक्ति मुख्य न्यायिक अधिकारी की सलाह पर सुल्तान द्वारा की जाती थी। न्यायिक मामलों में इसके विचारों को महत्वता दी जाती थी परन्तु अगर कहीं संशय या संदेह होता था जो सुल्तान का फैसला ही अंतिम होता था। पंडित हिन्दुओं के मामलों में सलाह के लिए होता था। मोहतासिब भी न्यायिक कार्यवाही देखता था। दादबक एक प्रशासनिक अधिकारी था जिसका काम यह देखना था कि अदालत में जिनको बुलाया जाना था वह हाज़िर है या नहीं।

प्रान्तीय स्तर पर मुख्य न्यायालयः प्रान्तों में भी केन्द्र के समान ही न्याय व्यवस्था थी।

1. **अदालत–ए–नाज़िमशाहः** इस न्यायालय के कार्यक्षेत्र में प्राथमिक तथा अपीलिय दोनों प्रकार के मामले शामिल थे। इसका मुखिया गर्वनर होता था जिसे नाज़िम भी कहा जाता था।
2. **अदालत–काज़ी–ए–सूबाः** इस न्यायालय में अधिकतर धर्म तथा सामान्य कानूनों से सम्बन्धित मामले सुनी जाती थे। इसमें काज़ी होता था जिसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा होती थी।
3. **दीवान–ए–सूबाः** कर सम्बन्धित या धन सम्बन्धित मामलों की निपटारा करने के लिए इस अदालत की व्यवस्था की गई थी।
4. **सद्र–ए–सूबाः** इस अदालत में धार्मिक मामले सुने जाते थे।

प्रान्तों में मुख्य न्यायिक अधिकारी

1 गवर्नरः गवर्नर प्रान्त का मुखिया होता था जिसे बली भी कहा जाता था। इसे प्रान्त में सुल्तान का प्रतिनिधि माना जाता था। इसके मुख्य कार्यों में प्रान्तीय प्रबन्ध तथा न्याय करना था। यह प्राथमिक तथा अपीलीय दोनों तरह के मामले सुनता था। प्रान्तीय गवर्नर को प्रान्त का सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था परन्तु अपीलीय मामले वह काज़ी–ए–सुबा की सहायता से निपटाता था। प्रान्त तथा उसके उपविभागों के सभी न्यायालयों की अपीलें प्रान्तीय गवर्नर के न्यायालयों में पेश की जाती थी।

2 काज़ी–ए–सूबाः गवर्नर, अधिकतर अपने प्रशासकीय तथा सैनिक कार्यों में व्यस्त रहता था। ऐसी परिस्थिति में न्याय सम्बन्धित अधिकांश मामले काज़ी–ए–सूबा द्वारा सुने जाते थे। इसकी नियुक्ति मुख्य नयायाधीश की सिफारिश पर सुल्तान द्वारा की जाती थी। इसके द्वारा दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामले सुने जाते थे। यह प्रान्त के सभी काज़ियों के कार्यो पर नजर रखता था, परगना काज़ियों की नियुक्ति हेतु नामों की सिफारिश करता था।

दीवान–ए–सूबाः इसके क्षेत्राधिकार सीमित था। केवल भू–राजस्व के मामलों की सुनवाई ही इसके द्वारा की जाती थी।

सद्र–ए–सूबाः यह धर्म की व्याख्या के सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करता था। इसका क्षेत्राधिकार भी बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं था। इसकी नियुक्ति केन्द्र द्वारा की जाती थी।
ऊपर वर्णित मुख्य अधिकारियों के अतिरिक्त केन्द्रीय न्यायिक ढांचे की तरह ही प्रान्तों में भी मुफ्ती, मुहतसिब, दादबक पंडित होते थे जो न्यायालयों की कार्यवाही में सहयोग देते थे।

सरकार के स्तर पर मुख्य अदालते

1. **काज़ी की अदालतः** सभी प्रकार के फौजदारी तथा दीवानी (नागरिक) मामलों की सुनवाई इसी अदालत में होती थी। इस अदालत में परगना, कोतवाल तथा फौजदारों के निर्णयों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई भी होती थी।
2. **फौजदार भी अदालतः** यहाँ छोटे आपराधिक या फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी।
3. **सद्र की अदालतः** यहाँ भूमि तथा पंजीकरण से सम्बन्धित मामले को सुना जाता था।
4. **आमिल की अदालतः** यहाँ भू–राजस्व कर के सम्बन्धित मामलों को सुना जाता था।
5. **कोतवालः** छोटे–मोटे आपराधिक मामलों के लिए कोतवाल भी अपनी अदालत लगाता था।

सरकार के मुख्य न्यायिक अधिकारी

1 काज़ीः सरकार का मुख्य न्यायिक अधिकारी काज़ी होता था जो सभी प्रकार के मामलों का निपटारा करता था। वह अपने न्यायिक कार्यो में मुफ्ती की मदद ले सकता था। वह सरकार में जेलों की व्यवस्था का निरीक्षण करता था। उसके साथ कई अधिकारी भी जुड़े हुए थे।

(क) कतीबः यह न्यायालय की कार्यवाही का लिखित ब्यौरा रखता था।

(ख) अखबार –नवीसः यह भी न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ा हुआ था।

2 फौजदारः इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती थी। यह फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था।

3 कोतवालः इसकी नियुक्ति भी गवर्नर के द्वारा की जाती थी। यह स्थानीय स्तर के छोटे आपराधिक मामलों का निपटारा करता था।

परगना स्तर पर मुख्य न्यायालय

1 क़ाजी –ए–परगनाः यह निम्नतम अदालत थी जो सभी प्रकार के धार्मिक दीवानी, फौजदारी आदि मामलों की सुनवाई करती थी।

2 कोतवालः परगना स्तर पर भी कोतवाल की अदालत होती थी। जो छोटे स्थानीय स्तर के मामलों का निपटारा अपने स्तर पर ही कर देता था।

परगना स्तर पर न्यायिक अधिकारी

काज़ी –ए–परगनाः सुल्तानों ने हर परगने या नगर से एक काज़ी–ए–परगना की नियुक्ति कर रखी था। यह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था। कोतवाल स्थानीय स्तर के आपराधिक मामलों की सुनवाई करता था। इनके अतिरिक्त शिकदार होता था जो तब काम करता था जब कोतवाल नहीं होता था।

गाँवों में न्याय व्यवस्था

प्रत्येक गाँव के लिए ग्रामीण पंचायत होती थी। इसमें गाँव के पाँच मुख्य व्यक्ति होते थे जो गाँव के कार्यकारी तथा न्यायिक कार्य देखते थे। पंचायत का मुखिया सरपंच होता था। गाँव की स्थानीय सत्ता में शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। राज्य के कर्मचारी भी लोगों के आम जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। पंचायत गाँव के स्थानीय झगड़ों का निपटारा करती थी।

निष्कर्ष

दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ई. में हुई। अधिकांश सुल्तानों ने न्यायिक प्रशासन की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया। शरियत के नियमों की पालना की आशा सभी से की जाती थी। सभी को यह हिदायते दी गई थी की शरियत कानून की अवहेलना किसी कीमत पर भी नहीं होनी चाहिए। सुल्तान सर्वोच्च न्यायाधीश था और सुल्तान की अदालत अपील की अन्तिम अदालत थी। सुल्तानों ने प्रशासन की सुविधा के लिए अलग–अलग विभाग बांट रखे थे। हर विभाग का एक मुखिया बना रखा था जो न्यायिक कार्य देखता था। सुल्तान ने समस्त साम्राज्य को प्रान्तो में बांट रखा था, आगे प्रान्त सरकारों में तथा सरकार परगनों में बंटी हुई थी। हर प्रशासनिक इकाई के स्तर पर न्याय विभाग की जिम्मेदारी के लिए अलग–अलग अधिकारी नियुक्त किए हुए थे जो कानून के हिसाब से निर्णय देते थे। दिल्ली सल्तनत ने न्याय प्रशासन को शुरू से ही महत्वपूर्ण विषय माना। न्याय के क्षेत्र में तथा शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफी प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार मुहम्मद तुगलक ने भी कानून की स्पष्ट व्याख्या तथा न्याय पर जोर दिया। दिल्ली सुल्तानों ने केन्द्र से लेकर गाँवों तक एक श्रृखलाबद्ध न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। वह न्याय व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप भी नहीं करते थे। निरकुंश होने के बावजूद भी वह न्याय पर आधारित प्रशासन में विश्वास रखते थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Ashraf KM. Life and Conditions of the People of Hindustan.
2. Dr. Edward (ed) C. Sachu, Alberun is India.
3. Barni J. Tarikh-I-Firojshahi.
4. Elliot HE. The History of India & told by own Historian.
5. Habib, Mohammad. Politics and Society during the Early Medieval Period (Edited by K.A. Nizami).
6. Qureshi IH. The Administration of the sultanate of Delhi.
7. Basham KL. The wonder that was India.
8. Dr. Singh DR. Evoluation of Criminal Justice. Indian Journal of Public Administration (July, 1984).
9. Sircar DC. Political and Administrative System of Ancient and Medieval India.
10. Habib M, Nizami KA. (ed). Comprensive History of India: The Delhi Sultante A.D. 1206-1526.